



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

अंश-1 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 25 मई, 1979

ज्येष्ठ 4, 1901 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1243/सप्तह-वि०-1--145-1978

लखनऊ, 25 मई, 1979

अधिसूचना

विषय

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 21 मई, 1979 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनायें इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) अधिनियम, 1979

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1979]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसरे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) (संशोधन) अधिनियम, 1979

संक्षिप्त नाम

कहा जायगा।

उ० प्र० अधि-
नियम संख्या 30
सन् 1952 की
धारा 3 का
संशोधन।

2--उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम, 1952 की, जिसे प्रागे मूल अधि-
नियम कहा गया है, धारा 3 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बड़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण—इस धारा के अधीन निषेध किसी एक निरूपण या प्रदर्शन में किसी
विराम या मध्यान्तर की अवधि पर भी लागू होगा किन्तु किसी सिनेमा के फिल्म या अभिनय
या गीतवाद्य के दो अलग-अलग निरूपण या प्रदर्शन के बीच की अवधि पर लागू न होगा।”

धारा 4 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, शब्द “धारा 3 में अभिदिष्ट निरूपण
या प्रदर्शन के समय” के स्थान पर शब्द “धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करके” रख दिये जायेंगे।

ब्राह्मण से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

N: 1243/XVII-V-1-145-78

Dated Lucknow, May 25, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Dhumrapan Nishedh (Cinemaghar) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14, of 1979), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 21, 1979:

THE UTTAR PRADESH PROHIBITION OF SMOKING (CINEMA HOUSES) (AMENDMENT) ACT, 1979

[U. P. ACT NO. 14 OF 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) (Amendment) Act, 1979.

Amendment of
section 3 of U.P.
Act no. 30 of
1952.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Prohibition of Smoking (Cinema Houses) Act, 1952 hereinafter referred to as the principal Act, the following Explanation shall be inserted, namely—

“Explanation—The prohibition under this section shall apply also to the period of any break or interval in any one demonstration or exhibition but shall not apply to the period between two separate demonstrations or exhibitions of a cinematographic film or dramatical or musical performance.”

Amendment of
section 4.

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “any person found smoking during any such demonstration or exhibition as is referred to in section 3”, the words “any person found smoking in contravention of the provisions of section 3” shall be substituted.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.